

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018.

सं.प्रनिलेप(कें)/कानूनी कक्ष/25-32/2023-24/98

दिनांक: 12.07.2023

परिपत्र सं.01/2023-24

इस कार्यालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि दि.30.08.2023 को तमिलनाडु महालेखाकार कार्यालय स्टाफ कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, चेन्नै -18 का चुनाव होने जा रहा है।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि "सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 15 (1) (C) के तहत निर्वाचित पद संभालने के निर्देश" के संबंध में मुख्यालय द्वारा अग्रेषित दि.03.02.2023 की मुख्यालय पत्र सं.296/Staff (Disc-I)/24-2023 के अंतर्गत परिपत्र संख्या 03- Staff (Disc-I)/2023 एवं दि.10.03.2023 की मुख्यालय पत्र सं.371/Staff (Disc-I)/25-2021/II के अंतर्गत परिपत्र सं.07/Staff (Disc-I)/2023 के अनुक्रम में, मुख्यालय कार्यालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं।

(क) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 15(1)(C) के अनुसार, "कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी निकाय में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, न तो कोई निर्वाचित पद धारण करेगा और न ही किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेगा।"


(ख) क्रम सं.13, सीएजी के मैनुअल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर वॉल्यूम II की धारा F के अनुसार, ऐसी अनुमति देने की शक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निहित है।

(ग) दि.27.02.2020 के DoP&T OM के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी को दो कार्यकाल की अवधि या 5 वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, किसी भी निकाय में, चाहे वो निगमित हो या नहीं, निर्वाचित पद पर रहने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए मौजूदा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को ऐसे निकाय में चुनाव लड़ते समय पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।

दि.30.08.2023 को तमिलनाडु महालेखाकार कार्यालय स्टाफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चेन्नै -18 में होने वाले चुनाव में लड़ने के इच्छुक स्टाफ सदस्यों को अपना नामांकन दाखिल करने से पूर्व विधिवत् अनुमति लेने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) में विवरणों को दि.21.07.2023 तक या उससे पहले कानूनी कक्ष अनुभाग को भेजें ताकि यह कार्यालय मुख्यालय कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सके।

(प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के दि.11.07.2023 के आदेशानुसार)

संलग्नक: प्रपत्र


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशा.

प्रति:

अंग्रेजी रूपांतरणनुसार

Disclaimer: अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण में किसी भी तरह की विसंगतियाँ होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

**PROFORMA TO BE FURNISHED BY OFFICIALS SEEKING PERMISSION
TO HOLD AN ELECTIVE OFFICE UNDER RULE 15(1)(C) OF THE CCS
(CONDUCT) RULES, 1964.**

Name of the Government Servant and Designation	Name of the body and the elective office held by the Government servant from time to time	The different periods during which he/she has held an elective office in the body	Whether any family member or relative of the Government servant is holding or has held any elective office in the body.	Whether the Government servant receives any remuneration from the body as honorarium/ allowance etc	Any perks or facilities given by the body viz.car/ air-conditioner etc.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Signature of the Official:

Name of the Official:

Designation: